

## छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड कं.-1, तेलीबांधा, रायपुर-492006(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : (0771) 4224600, 611, 622 फैक्स : (0771) 4060425, कॉल सेंटर 1-800-102-6416 (टोल फ्री) ई-मेल : [vis!tcg@gmail.com](mailto:vis!tcg@gmail.com) वेब-साइट [www.tourism.cg.gov.in](http://www.tourism.cg.gov.in)

क्रमांक / III / चालन / पर्य.मं. / 2016

रायपुर, दिनांक / / 2016

// संशोधित आदेश //

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक 4486 दिनांक 17.02.2016 के बिन्दु क्रमांक-3 "छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों आदि के अधिकारियों को शासकीय प्रवास के दौरान आवासीय दरों में 50% रियायत का प्रावधान है।

उक्त नियम के बिन्दु क्रमांक-03 में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय प्रवास के दौरान आवासीय कक्ष दरों में 50% रियायत निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्रं.	छूट का विवरण	कक्ष किराया में छूट
1	वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष एवं उससे अधिक) को आवास कक्ष किराया में छूट	30%
2	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार (परिवार का तात्पर्य- कर्मचारी की पत्नी, संतान, वृद्ध माता-पिता एवं आश्रित भाई बहन से है) को विविध मांगलिक कार्यों इत्यादि प्रयोजन हेतु कक्षों एवं इकाई परिसर (Lawn) के उपयोग हेतु छूट।	50%
3	छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार/समस्त राज्य सरकार तथा केन्द्र/राज्य शासन के समस्त उपक्रमों के अतिथियों/कर्मचारियों/अधिकारियों को भी शासकीय प्रवास के दौरान आवासीय दरों में छूट।	50%
4	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा स्कूल एवं कॉलेज छात्र-छात्राओं के कक्ष आरक्षण हेतु आवासीय किराया दरों में दी जाने वाली छूट।	50%
5	छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा स्कूल एवं कॉलेज छात्र-छात्राओं के शाकाहारी भोजन प्रति छात्र, प्रतिदिन (सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि भोजन) की दर राशि रुपये 300.00 होगी।	कोई छूट नहीं दी जावेगी।
6	इकाई के सम्पूर्ण कक्ष आरक्षित किये जाने पर कक्ष किराये दर पर दी जाने वाली छूट।	30%
7	जनप्रतिनिधि (माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण) एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व उपाध्यक्ष को केवल स्वयं द्वारा उपभोग करने पर केवल कक्ष आरक्षण कराये जाने पर कक्ष किराया दरों पर दी जाने वाली छूट।	50%
8	किसी भी कंपनी/संस्था/व्यक्तियों द्वारा 05 कक्ष या उससे अधिक आरक्षण कराये जाने पर कक्ष किराया में दी जाने वाली छूट।	20%
9	इकाईयों के आरक्षण हेतु प्रमुख चालन शाखा द्वारा आवश्यकतानुसार दी जाने वाली छूट।	10%
10	कार्पोरेट सेक्टर को कक्ष आरक्षण के विरुद्ध केवल मुख्यालय स्तर पर दी जाने वाली छूट।	25%
11	निःशक्तजनों के द्वारा निःशक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनको एवं उनके सहयोगी (Attendent) को एक कक्ष पर दी जाने वाली छूट।	30%
12	पर्यटकों के दोबारा आगमन पर कक्ष आरक्षण में रियायत	20%
	पर्यटकों के दो से अधिक बार आगमन पर कक्ष आरक्षण में रियायत	30%

टीप :- खान-पान के देयकों पर किसी भी प्रकार की छूट (Discount) नहीं दी जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

महाप्रबंधक  
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल


निरन्तर.....

रायपुर, दिनांक 23/07/2016

क्रमांक 1674/III/ चालन/पर्य.मं./2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. उपमहाप्रबंधक (वित्त), छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त शाखा प्रमुख..... छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. समस्त प्रमुख..... होटल/मोटल/पर्यटन सूचना केन्द्रों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रमुख काल सेन्टर, होटल जोहार छत्तीसगढ़ परिसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री अनुपम यादव, कियेटिव डिजाईनर, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, की ओर अधिकारिक वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।

  
महाप्रबंधक  
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल